

दिनांक:—26.08.2019

वकुलाए फरीकेन उप.। मूल प्रार्थना-पत्र में निर्णय किया जा चुका है। प्रार्थना-पत्र 151 सी.पी. सी. में दिनांक 11.05.2018 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है। मूल प्रार्थना-पत्र का निर्णय होने से दिनांक 11.05.2018 को जारी एक तरफा अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

